Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **नगर निगम जयपुर–ग्रेटर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी को उसके चालक सहित 50 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *04 अगस्त, गुरूवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर विशेष अनुसंधान इकाई जयपुर द्वारा आज कार्यवाही करते हुये जगदीश फुलवारी मुख्य अग्निशन अधिकारी नगर निगम, जयपुर–ग्रेटर, जयपुर को उसके वाहन चालक श्रवण कुमार के माध्यम से परिवादी से **50 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की विशेष अनुसंधान इकाई जयपुर को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा लगाये गये अग्निशमन उपकरणों के संबंध में एन.ओ.सी. जारी करने की एवज में जगदीश फुलवारी मुख्य अग्निशन अधिकारी नगर निगम, जयपुर–ग्रेटर, जयपुर द्वारा **1 लाख रूपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह शेखावत** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री रधुवीर शरण** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए चालक श्रवण कुमार पुत्र श्री रामलाल निवासी ग्राम रतनपुरा, पोस्ट गठवाड़ी, मनोहरपुर, जयपुर हाल चालक मुख्य अग्निशन अधिकारी नगर निगम, जयपुर–ग्रेटर को परिवादी से **50 हजार रुपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी जगदीश फुलवारी पुत्र श्री केशुलाल निवासी 24, रैगरों का मोहल्ला, छोटा बास, ब्यावर, जिला अजमेर हाल निवासी 101, भगवती रेजीड़ेंसी, विधाधरनगर, जयपुर हाल मुख्य अग्निशन अधिकारी नगर निगम, जयपुर–ग्रेटर को भी गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से दलाल के माध्यम से 50 **हजार रुपये** रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।